लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच0आई0जी0 64 सेक्टर–डी, मानसरोवर, कानपुर रोड, लखनऊ
फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

श्री आई0एच0 सिद्दीकी,
अधिकृत हस्ताक्षरी,
में0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0
द्वितीय तल, एल्डिको कॉरपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

महोदय,

आपके आवेदन प्रपत्र संख्या–477 दिनांक 02.01.2018 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 लखनऊ द्वारा ग्राम जैतीखेड़ा, परगना बिजनौर जिला लखनऊ में नेट ऐरिया 62446.873 वर्गमीटर पर अनुज्ञा पत्र 386 दिनांक 17.06.2019 द्वारा स्वीकृत किया गया है। भूखण्ड संख्या/गाटा संख्या इस अनुज्ञा पत्र के साथ संलग्न संशोधित तलपट मानचित्र पर अंकित है, के गाटा संख्या के आंशिक/सम्पूर्ण भाग से प्रभावित क्षेत्रफल 2827.85 वर्गमीटर अर्थात कुल संशोधित क्षेत्रफल 65346.873 वर्गमीटर पर स्वीकृति हेतु संशोधित भू–विन्यास/तलपट मानचित्र के अनुसार निर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 47) पर आपके आवेदन–पत्र पर संशोधित भू–विन्यास/तलपट मानचित्र (आवासीय भू–उपयोग) का अनुमोदन/ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नेहा जैन
(अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

कार्यालय संप्रेषण संख्या 2095

पत्र सं0 ..../लीडा/सी0ई0ओ./467 दिनांक 16/03/21

प्रतिलिपि–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय को इस आशय से प्रेषित कि अवशेष आंशिक विकासात्मक शुल्क की गणना एवं देयता के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. संबंधित सहा0प्रबंधक परि0 को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र एवं शर्ते के अनुसार ही निर्माण कार्य हो, को सुनिश्चित कराये।

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या ..../ल0औ0वि0प्रा0 दि0..........

<u>निर्माणार्थ अनुमति – पत्र</u>

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पडेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 लखनऊ द्वारा ग्राम जैतीखेड़ा, परगना बिजनौर जिला लखनऊ में नेट ऐरिया 62446.873 वर्गमीटर पर अनुज्ञा पत्र 386 दिनांक 17.06.2019 द्वारा स्वीकृत किया गया है। भूखण्ड संख्या/गाटा संख्या इस अनुज्ञा पत्र के साथ संलग्न संषोधित तलपट मानचित्र पर अंकित है, के गाटा संख्या के आंशिक/सम्पूर्ण भाग से प्रभावित क्षेत्रफल 2827.85 वर्गमीटर अर्थात कुल संशोधित क्षेत्रफल 65346.873 वर्गमीटर पर मानचित्र स्वीकृति हेतु दिनांक 18.06.2020 आवेदन पत्र संख्या–639 द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है, चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत तलपट (आवासीय भू–उपयोग) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 467/लीडा/सी.ई.ओ./2019–20 पर 1 से 47 शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सहा0 प्रबंधक (परि0)

प्रबंधक (परि0)

सहायक नगर नियोजक

वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक–

नोट–

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पॉच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि भू–विन्यास का विकास शर्तानुसार /आज्ञानुकूल नही विकसित की गयी तो प्राधिकरण द्वारा उसे निरस्त किया जा सकता हैं अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार विकासकर्ता पर होगा यदि कोई भू–विन्यास बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्ति किये विकसित अथवा पुनः विकसित होगा तो विकासकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय भू–विन्यास को प्राधिकरण द्वारा हटाया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन विकासकर्ता से वसूल किया जायेगा।
2. विकास/निर्माण के समय इसका ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्टिक सिटी रूल्स के निमय 1970 का उल्लघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामलें पाये गये तो वह भू–विन्यास विकास को निरस्त अथवा रोक अथवा हटा सकता है।
3. प्रार्थी को नियमानुसार प्राधिकरण को विकास के पूर्ण हो जाने की सूचना समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा।
4. यह अनुमति किसी कारण वश नजूल प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गयी तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर विकास आदि हटावें जिसका कोई हरजाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिये भूमि स्वामी अपनी भूमि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी भू–विन्यास विकास को प्रारम्भ करे।
5. भू–विन्यास हेतु प्रस्तावित स्थल में समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे नाली, सीवर, सड़क वाटर सप्लाई, वाहय विद्युतीकरण,सेप्टिक टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिग, ट्रांसफार्मर इत्यादि आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर निर्धारित विशिष्टताओं एवं परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुरूप कराये जायेगें। स्थलीय निरीक्षण के दौरान आंतरिक विकास कार्यो को निर्धारित विशिष्ठतायों के अनुरूप न पाये जाने की स्थिति में प्राधिकरण आवेदक के विरूद्व विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।
6. वाहय अवस्थापनागत सुविधओं से आंतरिक सुविधाओं का संयोजन आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुमति के उपरांत स्वयं के खर्चे पर कराया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा स्वीकृत मानचित्र व वाहय विकासात्मक कार्यो के विरूद्व कोई भी वाद योजित नहीं किया जायेगा।
8. भूखण्डों पर व्यक्तिगत आवंटियों द्वारा जो भी निर्माण कराया जायेगा उसका मानचित्र लीडा भवन विनियमावली, निदेशक मण्डल के निर्णय एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत लीडा द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
9. परियोजना सम्बन्धित समस्त आवश्यक शासकीय अनापत्ति आवेदक द्वारा अवश्य प्राप्त की जायेगी एवं उसके अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
10. यह अनुज्ञा 5 वर्ष के लिए वैध होगी। वैधता अवधि में आवेदक द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
11. प्रस्तावित स्थल पर विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र पर प्राधिकरण को दी जायेगी।
12. सड़को के किनारे यथा सम्भव कच्चे रखे जाएंगे अथवा बिक–ऑन–एज'' / लूज स्टोन पेवमेन्ट''का प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउन्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिग सम्भव हो सके।
13. विकास के दोरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।
14. विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पष्चात अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फार्मेट में) सी.डी. में

जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फीस प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार जमा करना होगा।

15. प्राधिकरण द्वारा समय–2 पर आवेदक से माँगें जाने पर आवंटियों की सूची पता सहित उपलब्ध कराना होगा।

16. आवेदक को अपने वित्त पोषण संबंधी बैंक/संस्था के विवरण की सूचना प्राधिकरण को देनी होगी।

17. आवेदक को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही संबंधित सिविल इंजी0 व आर्की0 की देखरेख में विकास कार्य कराया जायेगा तथा समय–समय पर कार्य की प्रगति से प्राधिकरण को अवगत करना होगा। विशिष्टियों गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी के लिये प्राधिकरण जिम्मेदार नही होगा।

18. प्राधिकरण के सहा0 प्रबंधक परि0 अथवा अन्य अधिकारी द्वारा यदि किसी प्रकार का निरीक्षण किया जाता है तो आवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।

19. प्राधिकरण की भवन नियमावली, अनुमोदित उपविभाजन तलपट मानचित्र के प्राविधान एवं अन्य शर्ते आवेदक को मान्य होगी।

20. किसी भी नियमो की अवहेलना करने पर आवेदक का मानचित्र अस्वीकृत माना जायेगा।

21. स्वीकृत मानचित्र की प्रति स्थल पर उपलब्ध रहेगी तथा अध्याय–2 के नियम 16 का पालन किया जायेगा।

22. निजी भूमियों के भू–स्वामित्व के संबंध में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की स्वयं की होगी तथा स्वामित्व संबंधी विपरीत तत्थों के प्रकाश में आने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। स्वामित्व संबंधी किसी भी विवाद की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी एवं प्राधिकरण से इसका कोई संबंध नही होगा।

23 विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता के पास है।

24. प्रश्नगत स्वीकृति ले–आउट प्लान के उसी भाग के लिए मान्य होगी जो विकासकर्ता के स्वामित्व में है।

25. विकासकर्ता मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 के कर्न्सोटियम सदस्यों नेप्चून इन्फ्राकाम प्रा0लि0 तथा शिवाय कन्स्ट्रक्सन प्रा0लि0 द्वारा आवेदक को मानचित्र स्वीकृति एवं विकास कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। यदि कर्न्सोटियम सदस्यों के मध्य कोई विवाद होता है तो विवाद की स्थिति में योजना पूर्ण करने तथा अन्य की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

26. ले–आउट प्लान के अंतर्गत यदि तालाब, कब्रिस्तान, मंदिर (देवालय), नाले व चकनाली इत्यादि पड़ते है तो उनके स्वरूप को यथावत रखना होगा तथा किसी भी दशा में इसका संकुचन अनुमन्य नहीं होगा। योजना अन्तर्गत पड़ने वाली चकरोड, चकनाली सरकारी भूमि इत्यादि को जन सामान्य हेतु बाधित नही किया जायेगा।

27. जनसंख्या के आधार पर मानकों के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं यथा आंगनवाडी, हेल्थ सेन्टर, पोस्ट आफिस, पुलिस चौकी, बारातघर/कम्यूनिटी सेंटर, विद्युत सब–स्टेशन, बैंक, ए0टी0एम0, क्रीडा केन्द्र, गारबेज कलेक्शन सेंटर, बूथ/कियोस्क, नर्सरी, प्राइमरी एवं इन्टरमीडिएट स्कूल आदि का प्राविधान करना होगा एवं भवन मानचित्र का पृथक से अनुमोदन विकासकर्ता को प्राप्त करना होगा। उक्त सुविधाओं का विकास, योजना के अन्य विकास कार्यो के साथ–साथ, समानुपातिक रूप से करना होगा।

28. विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप /कालोनियों में एस0टी0पी0/म्युनिसपल सालिड वेस्ट का निस्तारण योजनाबद्ध रूप से कराये जाने विषयक पर्यावरण विभाग के शासनादेश सं0 3333/55–पर्या0/2008 दि0 29.09.2008 के अनुपालन में उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा तथा प्रस्तावित योजना के संबंध में सक्षम स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान

2031 की नीति के आधार पर सालिडवेस्ट की गणना की जायेगी। सालिडवेस्ट के अंतिम निस्तारण हेतु विकासकर्ता को स्वयं नगर निगम की सहमति/अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

29. शासनादेश सं0 4384 (1) /8–3–11–181 विविध/2008 दि0 07.10.2011, सं0 3338/आठ–1–11–80 (विविध)/2010 दि0 26.09.2011 व सं0 3188/आठ–1–13–80विविध/2010 दि0 05.12.2013 व अन्य शासनादेशों के अनुसार ई0डब्लू0एस0 तथा एल0आई0जी0 के ड्वेलिंग यूनिटस निर्मित करने होगें, जो विकासकर्ता के निर्विवाद भूमि पर होगें। विकासकर्ता द्वारा ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 वर्ग के लाभार्थियों को शासकीय अभिकरण द्वारा निर्धारित लागत पर एवं निर्धारित मानकों के अनुसार विकसित /निर्मित कर उपलब्ध कराये जाने वाले भवनों का आवंटन उक्त आय वर्गो के लाभार्थियों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी लीडा की अध्यक्षता में उनके द्वारा गठित समिति के माध्यम से शासनादेषों के अनुसार किया जायेगा, जिसमें जिलाधिकारी तथा विकासकर्ता के प्रतिनिधि भी सदस्य होगें। इसके अतिरिक्त विकासकर्ता को शासनादेशों की अपेक्षानुसार योजनान्तर्गत अन्य विकास कार्यो/निर्माण कार्यो के साथ–साथ ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों एवं सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण एवं विकास कार्य को करना होगा। दुर्बल आय वर्गो एवं अल्प आय वर्गो भवनों के मानचित्र भी ग्रुप हाउसिंग प्लाटस के मानचित्र की स्वीकृति के समय ही स्वीकृत कराये जायेगें। योजना का कम्पलीशन सर्टीफिकेट तभी जारी किया जायेगा जब विकास कर्ता द्वारा सम्पूर्ण विकास कार्यो व निर्माण के साथ–साथ ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

30. विकासकर्ता द्वारा ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवन, तथा सामुदायिक सुविधांए ले–आउट में ऐसे स्थलों पर प्रस्तावित किये जायेगें, जिनका स्वामित्व निर्विवाद रूप से विकासकर्ता के पास उपलब्ध हो तथा ई.डब्लू.एस.एल.आई.जी. के मानचित्र अनुज्ञा पत्र के तिथि के एक माह के अन्दर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेगे।

31. विकास के सभी कार्य निर्धारित विशिष्टताओं एवं मानकों के आधार पर विकासकर्ता द्वारा सम्पादित कराये जायेगें। विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्यो का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह सुनिष्चित करने हेतु विकासकर्ता द्वारा विक्रय योग्य भूमि का 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) क्षेत्र लीडा के समक्ष/पास बंधक के रूप में रखा जायेगा अथवा विकासकर्ता द्वारा इतनी ही धनराषि की बैंक गारन्टी प्रेषित की जायेगी। विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य न कराये जाने अथवा निर्धारित विशिष्टताओं एवं मानकों के अनुरूप न करवाए जाने की स्थिति में बंधक भूखण्डों को विक्रय कर अथवा बैंक गारन्टी को कैश कर विकास कार्य लीडा द्वारा सम्पादित कराये जायेगें। विकास कार्य सम्पादित होने पर समानुपातिक रूप से भूखण्ड अवमुक्त किये जायेगें अथवा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।

32. विकासकर्ता द्वारा रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु प्रस्तावित स्ट्रक्चर्स की प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोज्यालोजी के आधार पर उपयुक्तता के संबंध में सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड तथा उत्तर प्रदेष भूजल विभाग से स्वयं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

33. विकासकर्ता को विद्युत आपूर्ति यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त की जानी प्रस्तावित है, जिसके लिए विकासकर्ता को स्वयं यू0पी0पी0सी0एल0 से सहमति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।

34. विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार सिचाई विभाग से स्वयं सहमति /अनुमति प्राप्त करनी होगी।

35. विकासकर्ता द्वारा परियोजना में नियमानुसार स्ट्रीट लाइट हेतु सोलर सिस्टम का प्रयोग किया जायेगा। इस हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

36. विकासकर्ता को योजना में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता व डिजाईन को जल निगम के मानकों के अनुसार योजना में करना होगा। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान– 2031 की नीति के अनुसार कुल जलापूर्ति के 80 प्रतिशत सीवेज की मात्रा की गणना की जायेगी। विकासकर्ता को जनसंख्या के अनुसार सालिड वेस्ट निस्तारण स्थल (गारबेज कलेक्शन सेंटर) हेतु आवश्यक क्षेत्रफल की व्यवस्था विकासकर्ता को स्वयं करनी होगी।

37. विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, वाह्य विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्ति, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, पार्क, जल निकासी, लैण्डस्केपिंग, वृक्षारोपण इत्यादि के पृथक–पृथक प्लान्स प्रस्तुत करने होंगें।

38. विकासकर्ता द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तथा निर्माण/विकास गतिविधियों हेतु बार चार्ट प्रस्तुत करना होगा, जो सी0ए0 द्वारा सत्यापित होगा। योजना के समस्त कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने होगें। विकासकर्ता द्वारा समस्त आंतरिक विकास कार्य स्वयं के खर्चे पर करना होगा। विकास कर्ता द्वारा विकास शुल्क, भवन शुल्क व अनुज्ञा शुल्क इत्यादि नियमानुसार निर्धारित अवधि पर जमा करना होगा तथा यदि भविष्य में मा0 न्यायालय अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय/निर्देश, किन्ही प्रकार के शुल्क अधिरोपित करने के संबंध में जारी किये जाते है तो उसके अनुसार विकासकर्ता को शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। विकासकर्ता को अपने बैंक का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा, जिनसे उसके द्वारा वित्तीय सुविधा प्राप्त की जा रही है।

39. योजना के मरम्मत एवं रख–रखाव के कार्यो के संबंध में मे0 एल्डिको हाउसिंग इण्डस्ट्रीज लि0 को लीडा द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना होगा।

40. परियोजना के अन्तर्गत गार्ड रूम के क्षेत्रफल की गणना प्रस्तावित ग्रीन से भिन्न रखी जायेगी तथा प्रभावित ग्रीन क्षेत्र को नियमानुसार अन्य क्षेत्र में दर्शाते हुये गणना की जायेगीं।

41 विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्यो का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

42. आवेदककर्ता द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार सभी गाटों का दाखिल खारिज होने के उपरान्त कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद ही उपरोक्त गाटों पर अंकित प्लाटों/भूखण्डों की विकय की कार्यवाही की जायेगी।

43. आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के कम में प्रदूषण विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

44 आवेदनकर्ता द्वारा लेबर सेस या अन्य किसी भी प्रकार की यदि देयता बनती है तो प्राधिकरण में जमा कराना होगा।

45. प्रस्तुत परियोजना के मानचित्र में इंगित रोड संख्या–18 एवं पेब्ड रोड संख्या–19 से होकर जाने वाली चकरोड नाली को यथावत रखा जाये तथा रोड संख्या–18,19 को मानचित्र से विलोपित माना जायेगा। एस.टी.पी.. को ग्रीन संख्या–9 के अन्तर्गत माना जायेगा तथा मानचित्र के ग्रीन संख्या–3 में दर्शाये गये एस.टी.पी. को विलोपित माना जायेगा। उक्त स्थल की गणना ग्रीन में की जायेगी।

46. आवेदक को परियोजना अन्तर्गत सड़क संख्या– आर–1, आर–5, आर–15 आर–23, आर–24 से होकर जाने वाली चकरोड/चकनाली से प्रभावित सड़कों पर किसी प्रकार का विकास कार्य किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा चकरोड/चकनाली से प्रभावित भूखण्डों का विक्रय जिलाधिकारी महोदय से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा।

47. किन्ही भी शर्तो का अनुपालन न करने पर ले–आउट मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

सहायक प्रबन्धक (परि0)

प्रबन्धक (परि0)

सहायक नगर नियोजक

वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी